महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार
उच्च न्यायालय, पटना।

बोली आमंत्रण सूचना

सू०सं०सं०– 95 पटना, दिनांक 10 मार्च, 2026

महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना के नये भवन स्थित अभिलेखागार एवं उसके आस–पास के कमरों में रक्षित अनुपयोगी रद्दी कागजों द्वारा जगह धारित कर लिये जाने से कार्यालय में उपयोगी अभिलेखों/कागजातों हेतु जगह की कमी हो गयी है, जिसके चलते इसका निष्पादन जरुरी हो गया है। रद्दी निपटान समिति के अनुशंसा पर उक्त अनुपयोगी रद्दी कागजों को बोली के आधार पर निष्पादित किये जाने का आदेश विभागाध्यक्ष–सह–विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा दिया गया है।

उपर्युक्त अनुपयोगी रद्दी कागजों के निपटान हेतु इच्छुक कारोबारियों से बोली के आधार पर निष्पादन का निर्णय निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया:–

1. अनुपयोगी रद्दी कागजों को निष्पादन बोली के आधार पर दिनांक–28.03.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे कार्यालय के नये भवन में किया जायेगा।
2. उक्त अनुपयोगी रद्दी कागजों का निष्पादन, कारोबारियों के माध्यम से प्रति किलोग्राम के आधार पर किया जायेगा जिसकी प्रति किलोग्राम न्यूनतम राशि ₹28/(अठ्ठाईस रुपये) मात्र होगी।
3. निष्पादन (बोली) में भाग लेने से पूर्व कारोबारियों को ₹25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) मात्र अग्रधन के रूप में कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी–सह– रोकड़पाल श्री सदानंद कुमार के पास दिनांक–24.03.2026 तक जमा करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में निष्पादन (बोली) में भाग लेने हेतु अग्रधन स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. निष्पादित होने वाले अनुपयोगी रद्दी कागजों के आकलन हेतु बोली में भाग लेने वाले इच्छुक कारोबारी कार्यालय में कार्यदिवसों में आकर श्री सुशांत कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक तथा मो. शाकिब अहमद, उच्चवर्गीय लिपिक से संपर्क कर सकते हैं।
5. बोली के माध्यम से निष्पादन होने वाले सामग्रियों को अधिकतम बोली लगाने वाले कारोबारी को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर दिया जायेगा।
6. कारोबारियों द्वारा क्रय किये गये रद्दी कागजों की कुल संपूर्ण देय राशि का भुगतान नकद रूप में एकमुश्त करना होगा तभी उन्हें उक्त सामग्रियों को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति होगी।
7. क्रय किये गये अनुपयोगी रद्दी कागजों को कार्यालय परिसर से तुरंत बाहर ले जाना आवश्यक होगा। इसमें लगने वाले मजदूरी/परिवहन आदि पर होने वाले व्यय का भुगतान स्वयं कारोबारी/कारोबारियों द्वारा किया जाएगा।
8. निष्पादन की समाप्ति के उपरांत भाग लेने वाले कारोबारियों में से बोली में सफल घोषित किये गये कारोबारी को छोड़कर शेष कारोबारियों का अग्रधन वापस कर दिया जाएगा तथा बोली में सफल कारोबारी के अग्रधन की राशि का यथानुरूप समायोजन कर लिया जाएगा।
9. निष्पादित अनुपयोगी रद्दी कागजों/सामग्रियों को ले जाने वाले कारोबारी इस आशय का एक शपथ–पत्र/Undertaking कार्यालय में जमा करेंगे कि– निष्पादित अनुपयोगी रद्दी कागजों/सामग्रियों का उनके द्वारा उपयोग/निष्पादन/निपटान नियमानुसार वैधानिक तरीके से किया जायेगा तथा वे निष्पादन हेतु प्रचलित/विहित तरीके का कोई उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे।
10. उपर्युक्त सूचना महाधिवक्ता कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट– https://advocategeneral.bihar.gov.in/ पर सुलभ प्रसंग हेतु upload कर दिया गया है।

10/3/26

(योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा)
अपर महाधिवक्ता–सह–
कार्यालय प्रभारी।